

Stri Chetna: From Swanbhuti to Sahanubhuti – The Evolution of Women's Consciousness

स्त्री-चेतना : स्वानुभूति बनाम सहानुभूति

डॉ.-मीना शर्मा

सत्य क्या है? चते ना क्या है? सत्य स्त्रीलिंग है अथवा पुलिंग या उभयलिंग? चते ना स्त्री की है? चते ना पुरुष की है?

अथवा

चते ना मनुष्य मात्र की (मानवीय) है? सत्य भक्ति का होता है? सत्य रचयिता का हाते । है? सत्य पाठक का होता है? सत्य सार्वभौम होता है अथवा सत्य विशिष्ट होता है? या सत्य इनमें से कोई भी नहीं होता है? या सत्य समन्वित निर्मिति है। ऐसे अनगिनत प्रश्नों की वर्षा होने लगती है जब हम सत्य का खंगालना शुरू करते हैं और सत्य का खंगालना भी जरूरी है, क्योंकि इसी से जुड़ा है अनुभूति का सत्य। अपनी अनुभूति (स्वानुभूति) सत्य है अथवा अनुभूति-सामर्थ्य के सहारे दूसरे की अनुभूति तक पहुंचकर सत्य का साक्षात्कार करना यानी सह-अनुभूति, समान अनुभूति के सत्य का उपलब्ध करना सत्य है। दूसरे शब्दों में क्या सह-अनुभूति (सहानुभूति) सत्य है? ये इतने सारे सवाल क्यों? तो उत्तर यह है कि सत्य की उपलब्धि का दावा सभी करते हैं और प्रत्येक दावा करने वाला अपने सत्य का परम-सत्य और अन्तिम-सत्य मानने लगता है, परम ब्रह्म की तरह। और फिर इस परमब्रह्म का परमज्ञानी दूसरे के सत्य का अंतिम सत्य भी नहीं मानता। तो फिर निर्णय कैसे हो? झगड़ा और विवाद की जड़ यही यह कि मेरा सत्य और तेरा सत्य, मेरी अनुभूति और तेरी अनुभूति, स्वानुभूति और सहानुभूति, रचनाकार और भावे ता का सत्य, स्त्री लखे इक का सत्य और लेखक का सत्य।

इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि सत्य क्या है, वह महत्वपूर्ण नहीं है, सत्य का कौन देख रहा है, यह महत्वपूर्ण है। किस चश्मे से सत्य का देखा जा रहा है, वह चश्मा सत्य का निर्धारित करता है। आदमी की निगाह में औरत का सत्य बनाम औरत की निगाह में औरत का सत्य, दोनों सत्य में से किसका सत्य मान्य और किसका सत्य अमान्य हो, यह कौन तय करेगा, आदमी या औरत? पुरुष लखे इक होकर भी पहले पुरुष है तो वहीं स्त्री लखे इक होकर भी पहले वह स्त्री है, तो क्या अपने-अपने पूर्वाग्रह के साथ इस सत्योपलब्धि की प्रक्रिया में अनायास अथवा सायास चले आते हैं और इस कारण सामने वाले के सत्य का लिंग भेद, स्थिति भेद, अनुभूति भेद, अनुभव भेद के आधार पर हम स्वीकार नहीं करते हैं अथवा महजिह नहीं देते हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने लगते हैं, एक दूसरे के सत्य को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के तर्क रखते हैं, उसका लॉजिकल फार्मूला स्त्री के अलग प्रजाति होने के आधार पर देते हैं-

‘हर स्त्री मनुष्य है- किन्तु हर मनुष्य स्त्री नहीं।’ इस तर्क का थाड़े। और बारीक करते हैं कि हर मनुष्य तो क्या, कोई भी स्त्री मनुष्य नहीं होती। अगर स्त्री मनुष्य होती तो उसकी मानव सत्ता अक्षुण्ण रहती, उसकी जैविक सत्ता के साथ-साथ। किन्तु स्त्री की मानव सत्ता की सर्वस्वीकार्यता कारिता होती तो फिर उसे उपनिवेश की श्रेणी में

क्यों रखें, उसे परजीवी क्यों मानते, उसका दायम दर्जा क्यों मानते? उसे वस्तु ‘अन्या’ आदि की श्रेणी में क्यों रखते? निम्नलिखित कथन का पढ़कर तो इसी तथ्य की पुष्टि हाते हैं- “दरअसल भारतीय समाज में औरत और दलित दोनों ही परजीवी हैं। दोनों अपने जन्म के कारण ही भेदभावपूर्ण व्यवहार के शिकार होते हैं। दलितों के साथ जन्म-परक भेदभाव, एक वर्गीय व्यवस्था, ऊँची-नीच मालिक-गुलाम, विजेता-विजित आदि एक राजनीतिक साजिश का परिणाम है जो मनु की आचार-संहिता पर आधारित सामन्ती/वर्ण-व्यवस्था के कारण घटित हुआ है। यह केवल भारत में ही है। औरत के साथ यह भेदभाव उसके स्त्री होने के कारण होता है, चाहे वह ऊंचे वर्ग की हो या निम्न-सर्वहारा वर्ग की, यानी गरीब हो या अमीर, गारे या पीली अथवा काली या किसी भी रंग की हो, चपटी नाकवाली हो या चपटे माथे वाली या तीखी रोमन नाक वाली- हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या यहूदी, पूरब की हो या पश्चिमी की। स्त्री जाति में जन्म लेने वाली यानी स्त्री प्रजाति की होने के कारण ही उस विश्व भर में दायम दर्जा ही दिया जाता रहा है। औरत, औरत होने के कारण यदि कमतर है तो एक बात है, ऊपर से यदि यह दलित जाति से ताल्लुक रखती है, उससे भी बड़ी बात, साथ ही यदि वह गरीब भी हो तो फिर तो वह उपनिवेश-द-उपनिवेश के चक्रव्यूह में फंसी स्त्री हुई। यानी लिंग, जाति, वर्ग जैसी भिन्न स्थितियों में जाने वाली स्त्रियों का क्या पितृसत्ता एक ही प्रकार की प्रकटित करेगी? ऊपर से यदि वह स्त्री पिछड़ी जाति की निरक्षर, बेसहारा स्त्री हुई तब क्या होगा? शायद गांव का कोई दबंग डायन, चुड़ैल बताकर निर्वस्त्र करके गांव में घुमाए अथवा बलात्कार आदि घटना का अंजाम देकर, काटकर नदी में बहा दे, तो क्या उस स्त्री की स्वानुभूति का उसी लिंग की कोई महानगरीय सभ्रात उच्च जाति की महिला 2000 किमी दूर वातानुकूलित कक्ष में बैठकर अपनी अनुभूति को उस पीड़ित महिला की अनुभूति के साथ समरूप कर सकती है? या फिर सिर्फ अपनी तरफ से सहानुभूति ही व्यक्त कर सकती है। यानी एक महिला एक का ही सत्य (स्वानुभूति) दूसरी महिला का सत्य (सहानुभूति) नहीं बन पाता, तो ऐसी स्थिति में फिर कोई पुरुष उस पीड़ित महिला के दर्द की अनुभूति बयान करे तो वह अकेला ‘हारुटसाइड’ कैसे? यह पुरुष भी तो उस पीड़ित महिला के साथ सहानुभूति ही तो व्यक्त करता है दूसरी स्त्री महिला लखे इक के समान। क्या सिर्फ लिंग एक होने से अनुभूति भी एक हो जाती है? सत्य भी एक हो जाता है? एक की स्वानुभूति दूसरे की स्वानुभूति हो पाती है क्यों? अतएव जब स्त्री विमर्श की बात आती है तो पुरुष लखे इक बाहरी कैसे? और स्त्री लखे इक ही हमेशा, हर स्थिति में अन्तरंग कैसे? फिर एक स्त्री भी पुरुष के चश्मे से स्त्री के सत्य का देख सकती/देखती है। यही बात दलित विमर्श के सन्दर्भ

में भी उठता है 'स्वानुभूति और सहानुभूति' का मसला वहां भी है, किन्तु दलितों में 'एलीट' वहां भी है, जाँ उससे अपनी वर्गीय हैसियत के कारण उतना ही दूसरी बनाकर रखता है जैसे वर्णव्यवस्था में एक सवर्ण व्यक्ति किसी अवर्ण व्यक्ति के साथ रखता था। वह 'एलीट' उस गरीब के साथ खान-पान, उठ-बैठ, विवाह-रिश्ते, आना-जाना आदि मामलों में उसकी तरफ हिकारत भरी नजरों से देखता है। साथ ही दलितों के भीतर भी जाति-व्यवस्था उतनी ही कठोर, (क्रूर नहीं क्योंकि यहाँ जान लने वाला मसला नहीं है।) नियम का पालन कर अपनी विशिष्टता, पृथक्ता का बनाए रखना चाहता है। तो फिर क्या यह एलीट दलित व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति के अन्तःकरण का साक्षात्कार उस स्वानुभूति की तीव्रता और गहराई के साथ कर पाएगा जैसा कि वह गरीब दलित व्यक्ति करता है। तो फिर यह एलीट व्यक्ति यदि लेखक बनकर उस पर लिखने की पात्रता रखने वाला इन 'साइडर' है अथवा 'आउट साइडर'? स्वानुभूति बनाम आत्मानुभूति का सवाल तो वहाँ भी उठना चाहिए। सिर्फ यह कहना कि सभी दलित एक हैं, दलित-दलित एक हैं, सभी दलित की स्थिति, सत्य, वेदना, अनुभूति एक है, स्वानुभूति एक है(?) कहकर इस सवाल से कन्नी नहीं काटा जा सकता। यानी जब भिन्न अभिव्यक्ति में पूर्ण सक्षम अथवा समरूप जीवनानुभव न रखने के कारण, सौ फीसदी उपयुक्त लखे। कीय पात्र नहीं है, वह भी (एलीट) उसके (गरीब दलित) लिए उतना ही 'हाउट साइडर' बाहरी व्यक्ति है, जितना कि सवर्ण लेखक उस गरीब दलित के लिए होगा। भिन्न स्थिति में रहने के कारण एवं जाति विशेष होने के कारण ही किसी भी सहानुभूति स्वानुभूति नहीं बन सकती। स्वानुभूति और सहानुभूति के झगड़े में सत्य से ज्यादा राजनीति

ज्यादा काम करती है।

वास्तव में स्त्री विषय हो या दलित विषय, दोनों की विमर्श में जाति, पितृसत्ता, वर्ण-व्यवस्था के प्रश्नों से काटकर, उनकी भिन्न स्थिति, सन्दर्भ में विच्छिन्न कर देखना सत्य का औसतीकरण होगा क्योंकि—

"स्त्रीवाद की मुख्य चिंता, आज की पितृसत्ता ही है। लेकिन क्या पितृसत्ता प्रत्येक देश और प्रत्येक काल में एक जैसी है?... वह एक जैसी नहीं होती। एक ही समय और एक ही समाज में भी वह एक जैसी नहीं हाते। उदाहरण के लिए हम आज के अपने भारतीय समाज में देखें, तो क्या उच्च या उच्च मध्यवर्गीय, शिक्षित और कामकाजी स्त्रियों की स्थिति निम्न या निम्न मध्यवर्गीय, अशिक्षित और घरेलू स्त्रियों से भिन्न नहीं है? शहरी और देहाती स्त्रियों की, धनी और निर्धन परिवारों की, ऊँची जातियों और नीची जातियों की स्थिति भिन्न नहीं है? क्या ऐसी तमाम स्थिति भिन्न नहीं है? क्या ऐसी तमाम भिन्न स्थितियों में जीने वाली स्त्रियों को पितृसत्ता एक ही प्रकार से प्रभावित करती है? यदि वह सब स्त्रियों का एक ही प्रकार से प्रभावित नहीं करती, तो क्या आज के स्त्रीवाद के पितृसत्ता विरोधी सघर्ष तक ही सीमित रहना चाहिए? क्या उसे वर्ण और जाति के प्रश्नों से नहीं जाड़े ना चाहिए?" अतएव वर्ण और जाति की असमानताओं से सत्य निरपेक्ष नहीं है। स्त्री की चेतना इनके सापक्ष में ही मूल्य अर्थ और दिशा पाती है। वर्ण-व्यवस्था भी असमानता का एक ढाँचा है, किन्तु वह वर्ग और जाति के सत्य से मुक्त नहीं है। वर्ग और जाति की असमानता का एक ढाँचा है, किन्तु वह वर्ग और जाति के सत्य से मुक्त नहीं है। वर्ग और जाति की असमानताओं का भूलकर उनकी आंतरिक विसंगति को छोड़कर अगर हम यह साचें कि केवल वर्ण-व्यवस्था का विरोध करके या उखाड़ फेंकने से हम सब तरह की असमानताओं से या दलितों के साथ होने वाले अत्याचार, भेदभाव से हम मुक्त हो जाएंगी, या स्त्री वर्ग, जाति की असमानताओं का भूलकर पितृसत्तात्मक व्यवस्था को उखाड़ फेंगेगी, तो यह एक भ्रामक धारणा होगी। एक समतामूलक मानवीय समाज के निर्माण में सभी विघ्न-बाधाओं तत्वों की पहचान करके ही इस लड़ाई का निर्णायक मोड़ एवं दिशा दी जा सकती है। अन्यथा इतिहास गवाह है कि इन तथ्यों का भुलाकर आंतरिक विसंगतियों को भुलाकर जल्दबाजी मतें कई देशों में की गई क्रांतियाँ कालांतर में ऐसा अभिशाप बन जाती हैं कि उस मिटाने के लिए एक और क्रांति करनी पड़ती है, फिर एक और, और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। वहाँ के समाजों में आंतरिक अशांति, उपद्रव, गृह-क्लेश, आपातकाल जैसी स्थितियाँ, और घटनाएँ अक्सर देखे जा सकते हैं। शायद इन्हीं आंतरिक विसंगतियों और अन्विति के अभाव में ही इतिहास का फिर से अपना इतिहास दोहराना पड़ता है। इतिहास दोहराने का भी इतिहास रहा है। वास्तविकता यह यह कि केवल पितृसत्ता के कारण ही स्त्रियों का दमन और उत्पीड़न नहीं होता बल्कि वर्ग और जाति के आधार पर भी स्त्रियाँ उसका शिकार होती हैं। इस तरह की खबरें अक्सर देखने-सुनने का मिलती हैं। एक दिलचस्प उदाहरण मार्क्सवाद का ही है जो समतामूलक मानवीय व्यवस्था के दर्शन के साथ संपूर्ण विश्व में निकला था, इस धारणा के साथ कि समाज में वर्ग-भेद एक बार मिटा तो जाति-भेद और स्त्री-पुरुष भेद स्वतः चला जाएगा। किन्तु तमाम क्रांतियों के बाद भी पूरे विश्व में पितृसत्ता बनी रही। जहाँ साम्यवादी शासन था वहाँ की स्त्रियाँ यह कहते हुए सुनी जा सकती थीं कि—

"मेरा पति, जाँ बाहर कॉमरेड है घर में मुझे क्यों पीटता है?"

स्त्री चेतना का स्वानुभूति या सहानुभूति के सन्दर्भ में एक बार महिला का विषय की भी है। यह यह कि जब टी.एस. इलियट (T.S. Elliot) कहते हैं कि रचनाकार और भोक्ता में अन्तर होता है, जितना बड़ा अन्तर होगा, उतना बड़ा बदलाव होगा और इसका सीधा अर्थ यही होता है कि रचनागत सत्य/काव्यगत सत्य और व्यक्तिगत सत्य दो अलग सत्य हैं। रचना प्रक्रिया में जब तक रचने वाला निर्धन्यक्ति नहीं हो पाता, तब तक वह कलाकार नहीं बन पाता। स्वानुभूति के आधार पर व्यक्तिगत या आत्मगत सत्य और तथ्य का सीधे एवं सपाट ढंग से प्रस्तुत करने पर साहित्य, साहित्य न रहकर रिपोर्टिंग रह जाएगा। साहित्य सचू ना, तथ्य या समाचार बन जाएगा और सचू ना अथवा समाचार साहित्य नहीं होता। इस कसौटी पर महान साहित्य का मूल्यांकन करना भी सम्भव नहीं होगा, मसलन स्वानुभूति के आधार पर कामायनी में जयशंकर प्रसाद का जीवन खाजे ना, रामायण में तुलसीदास अथवा वाल्मीकि का कहाँ है? या साकेत के अनंदर मैथिली शरण गुप्त का स्वानुभूत सत्य या व्यक्तिगत सत्य कहाँ और कितना है? गाँदेयन में प्रेमचन्द का जीवन कितना है, गाँदेयन में हारेयी का सत्य क्या प्रेमचंद का सत्य है या प्रेमचंद का सत्य क्या होरी का सत्य है? दोनों में किसी स्वानुभूति और किसकी सहानुभूति है? पछाड़ खाकर गिरते होरी की त्रासदी सिर्फ होरी की त्रासदी है या भारत के आम किसान की त्रासदी है या प्रेमचंद की त्रासदी है? अतएव स्वानुभूति और सहानुभूति की कसौटी पर साहित्य के मूल्यांकन में अत्यधिक सचेत होने की आवश्यकता है। फार्मूलाबद्ध तरीके से न तो साहित्य का सृजन हो सकता है, न मूल्यांकन और न ही पाठन। सृजन-प्रक्रिया, आलोचना-प्रक्रिया और पाठकीय प्रक्रिया में अनुभूति कई स्तरों पर सक्रमित होती है, अनुभूति के पैटर्न में बदलाव दिखाई पड़ता है। यदि गाँदेयन में पछाड़ खाकर गिरते होरी की त्रासदी प्रेमचन्द का सहानुभूति-सत्य है, तब भी वह महान रचनागत-सत्य है जाँ मानवीय सर्वेदना का झकृंत करता है। साहित्य की परकाया प्रवेश

की भूमिका वहाँ देखी जा सकती है। वास्तव में कला का सत्य स्वानुभूति सत्य और सहानुभूत सत्य से बड़ा होता है। रचना-विवेक के आधार पर कला का जाँखिम लेना पड़ता है। प्रगतिवाद के दौर में किसान और मजदूरों के सत्य को दिखाने की हडबड़ी में साहित्य पोस्टर, नारों में तब्दील हो जाता है। रचनात्मकता, कलात्मकता धूमिल हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे 'फटा पोस्टर निकला साहित्यकार' का जुमना चरितार्थ हो रहा हो। इसलिए स्वानुभूति और सहानुभूति के आधार पर सत्य शांति की कसौटी यही होनी चाहिए कि वह कितना और कहां तक मानवीय सत्य की प्रतिष्ठा करते हुए व्यक्ति की आंतरिकता का साक्षात्कार कर पा रहा है अथवा नहीं। आखिर में 'मानुष-सत्य' की खाजे और प्रतिष्ठा ही तो कला व्यापार है और कला-व्यापार मानवीय-व्यापार है, भाव-व्यापार है। इस सत्य के आलोक में साहित्यिक कृतियों का मूल्यांकन, आस्वादन किया जाना चाहिए, फिर यह फर्क नहीं पड़ता कि उसने कौन लिख रहा है, किसके चश्मे से देखा गया है, पुरुष लखे एक द्वारा अथवा स्त्री लखे एक के द्वारा। बस सिर्फ यह देखना चाहिए कि उसमें मानवीय सत्य का पकड़ने की तड़प है या नहीं, मनुष्य की आंतरिकता का साक्षात्कार हुआ या नहीं, अनुभूति की गहराई और समग्रता का स्पर्श है या नहीं। लखे कीय सवेंदना क्या पाठकीय सवेंदना में रूपांतरित हो रही है या नहीं। भाव-विभाजन के साथ अर्थ-विभाजन अथवा कला-विभाजन हो रहा है अथवा नहीं। अन्यथा अपने-अपने पूर्वाग्रह तो सभी के हाते हैं, पुरुष के भी और स्त्री के भी। किन्तु साहित्य पूर्वाग्रह से परे है, पूर्वानुमान से परे है। अन्यथा पाठक ज्योतिष हो जाएगा कि अमुक लेखक ने इस किताब में ये लिखा होगा। यह ऐसा लिखती है, यह वैसा लिखता है। आप 'टाइपड' हो जाते हैं। रुढ़ हो जाते हैं, जाँ एक कलाकार के लिए खतरनाक सकेत है। कलाकार के ठहराव का सकेत है, कला तब तालाब के पानी की तरह सिमट जाती है, ठहर जाती है तो उसमें सड़-पड़ पैदा होने लगती है। जबकि कला एक महान और विराट चीज है, मधुर संगीत है, निर्झर झरने का संगीत है। पक्षियों का कलरव है, आत्मा की पुकार है, सवेंदना का सत्य है, सत्य का संगीत है, मानवीय आत्मा का साक्षात्कार है। और इस मानवीय सत्य का उपलब्ध करने की तड़प, व्याकुलता और ईमानदारी जिस साहित्य में साहित्यिक सत्य ही कला सत्य है, महान सत्य है। चाहे वह स्वानुभूति के रास्ते आए अथवा सहानुभूति के रास्ते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस यह देखना है कि उसमें कला-विवेक, मानवीय सवेंदन, मानुष सत्य की प्रतिष्ठा की तड़प, गहराई, सच्चाई और ईमानदारी कितनी है। वह हमारे भाव-संवदेन का संकृत करने में सफल है या नहीं। मनुष्य सत्य का छू पाया है या नहीं, मनुष्य की के दर्शन कर पाया है

या नहीं। या फिर वह सिर्फ फार्मूलाबद्ध तरीके से सत्य के नाम पर साहित्यिक रिपोर्टिंग है, सत्य की मार्केटिंग है अथवा विमर्श के नाम पर फैशन। इसका फैसला तो पाठक ही करेगा। समय और इतिहास करेगा कि इतिहास के पन्नों के भीतर वर्षों रहने के बाद भी उसमें मानवीय भाव-संवदेन का झकड़ त करने की क्षमता अब भी है या नहीं। जैसे कि प्रेमचन्द के 'गाढ़े' का पछाड़ खाता हुआ होरी करता है। महादेवी वर्मा के साहित्य के मूल्यांकन के समय सिर्फ यह नहीं देखा जाना चाहिए कि वे एक स्त्री भर हैं बल्कि यह भी कि उनके पास कला है, कला-विवेक भी है, जाँ मानवीय भावों के प्रसारण एवं संचरण में समर्थ हैं। मानवीय भावभूमि पर अवस्थित है। मनुष्य की आंतरिकता की प्रतिष्ठा और साक्षात्कार कराने की उसमें क्षमता है। जीवन-प्रसंगों की सत्ता है उसमें। मानवीय भावों की प्राण-प्रतिष्ठा की तड़प है उसमें। विशेषकर महादेवी के संस्मरण साहित्य में ऐसे ही जीवन मूर्तियों का महादेवी ने गढ़ा है जाँ अमानवीय परिस्थितियों एवं अनुभव के संघात एवं शिकंजे में जकड़े होने के बावजूद भी मानवीय भावों से संप्रदित हैं, आलोकित हैं। जिनके साथ रचनाकार ही नहीं बल्कि पाठक की भी सहानुभूति एवं सवेंदना सहज रूप से जुड़ जाती है प्रेमचन्द और प्रेमचंद के पात्रों की तरह ही क्यों? "क्योंकि प्रेमचंद ने बड़ी कड़ाई से कला और उसके नियमों को जीवन प्रसंगों के साथ संबद्ध किया है।"

स्पष्ट है कि कला-विवेक के साथ मानवीय भाव और साहित्यिक भावों का परस्पर गुफन से कला का सौंदर्य निखरकर और उभरकर आया है। साहित्यिक प्रसंगों का जीवन-प्रसंगों से जाड़े कर ही मानवीय भावों को प्रकटीकरण करते हैं। ऐतिहासिक परिस्थितियों और संस्थाओं के शिकंजे में जकड़े हुए आदमी की पीड़ा, दासता, यंत्रणा, करुणा और विकृति की कथा कहते हैं, मानवीय भावों की खुशबू, मानवीय भावों का संस्पर्श हमारे मर्म को छू पाता है। अतः ठीक उसी पैटर्न पर आज के स्त्री-विमर्श का मानवीय भाव-भूमि पर प्रतिष्ठान के साथ-साथ कला-विवेक एवं जीवन प्रसंगों का नियोजन करना चाहिए। ऐतिहासिक परिस्थितियों, अनुभवों एवं संस्थाओं की कैद में जकड़ी हुई स्त्री की मार्मिक कथा को मानवीय धरातल पर मानवीय मूल्यों एवं मानवीय अनुभूति के साथ कहनी चाहिए। उस कथा में निर्विशेष मनुष्य हो, स्त्री अथवा पुरुष की पृथक श्रेणी, पृथक स्वानुभूति और सहानुभूति न हो। नर-नारी के झगड़े में मानवीय भाव हाथ से फिसल जाएगा।

ऐकान्तिक पुरुष और ऐकान्तिक स्त्री से कला की समग्रता एवं अखंड कला खंडित हो जाएगी। पुरुषों की दुनिया से स्त्री का और स्त्री के दुनिया से पुरुष का अलग कर दिया गया तो साहित्य की दुनिया ही वीरान हो जाएगी। नर-नारी के प्रश्नों के वचस्व और अधीनस्थ, श्रेष्ठ और निकृष्ट, आउट साइडर और इन साइडर के खानों में बाँटकर, अलग-अलग ज़मीन पर नहीं खड़ा करना चाहिए बल्कि यह बराबरी और मानवीय भाव भूमि पर ही वह अपना अर्थ, मूल्य और सत्य पा सकता है। ऐसे में मुझ 'तुलसी की कविता की एक पंक्ति का सहज स्मरण हो रहा है—

"सिया राम-मय सब जग जानी।"

तुलसी यदि ससंसार का सियाराम-मय रूप में जानते हैं तो हमें भी साहित्य के ससंसार का रूप भी स्त्री-पुरुष के समभाव, युगल सहकार एवं निर्विशेष मनुष्य के रूप में जानना चाहिए। तुलसी में हमें नर-नारी के सम-स्नेह की ज्योति मिल सकती है। राम मनोहर लोहिया लिखते हैं—

"सारे ससंसार की नारी-हृदय की चीख है— "कत विधिसुजी नारी जग माहीं, पराधीन सपनेहूँ सुख नाहीं।" गजब है तुलसी। क्या ममता, क्या नारी हृदय की चीख, क्या नर-नारी आदर्श जीवन की सच्ची ना। आखिर उसने ससंसार का किस रूप में जाना है, सियाराम-मय सब जग जानी।... नर और नारी का स्नेहमय संबंध बराबरी की नींव पर हो सकता है। ऐसा संबंध कोई समाज अभी तक नहीं जान पाया।"

स्त्री-विमर्श पितृसत्तात्मक व्यवस्था का विरोध करते-करते पुरुष का ही निषेध तक करने लगती है। काश! तुलसी से हम नर-नारी स्नेह-संबंध, सम-स्नेह की ज्योति ले पाते (जिस तरह हम उनकी खटकरने वाली बात को पकड़कर बैठे रहते हैं।) तो यह स्त्री-विमर्श का एक आदर्श भारतीय संस्करण हो सकता है। तब हम कहते— 'स्त्री पुरुषमय सब साहित्य जानी'। किन्तु हमें देशी चीज पसंद कहाँ! देशी चिंतन परंपरा से स्त्री-विमर्श का एक भारतीय संस्करण तैयार करने में दिशा मिलती, परन्तु

हमें तो 'इम्पोर्टेड' (Imported) चीज़ पसंद है और उसे ही हम इम्पोर्टेंट (Important) समझते हैं। इस कारण स्त्री-विमर्श का पश्चिमी भूमि पर प्रतिष्ठित करते हुए स्त्री के पश्चिमी संस्करण का भारतीय संस्करण बनाने के लिए उतावले दिखाई पड़ते हैं। क्या यह औपनिवेशिक मानसिक गुलामी नहीं है। एक गुलामी से लड़ने के लिए दूसरी गुलामी को स्वीकार कर देना क्या तर्क संगत है? क्या मुक्ति का प्रयत्न इस औपनिवेशिक मानसिक गुलामी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। साथ ही भारत की स्त्री का अपना एक यथार्थ है, उसे भारतीय संदर्भों, भारतीय परिस्थितियों के आलोक में ही बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। जबकि पश्चिमी स्त्री का अलग यथार्थ और संदर्भ है। यही भूल मार्क्सवादियों ने एक जमाने में की थी, जब मार्क्सवाद का ग्लोबल

एडिशन (Global Edition) भारत में उतार दिया। भारत की आंतरिक संरचनाओं और परंपराओं की जटिलताओं का समझ बगैर। इसी कारण उन्हें

यहाँ नाकामयाबी हाथ लगी।

स्त्री और पुरुष के बीच समानता और बराबरी की समज्योति, स्नेहज्योति के प्रकाश का देखकर एक बार लोहिया जी ने कहा था— "यदि गाँधीजी आज जिन्दा होते तो मैं उनसे कहता कि आप रामराज की बात न करें। यह अच्छा नहीं है। इसलिए मैं 'सीतारामराज' की बात कहता हूँ। यदि 'सीतारामराज' कायम करने की बात देश के घर-घर में पहुँच जाए, तो औरत मर्द के आपसी झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और तब उनके आपसी रिश्ते भी अच्छे होंगे।" वास्तव में स्वानुभूति और सहानुभूति की दो श्रेणियाँ 'आउटसाइडर' और 'इन साइडर' की राजनीति के तहत बनाई गई हैं। 'बहिष्कृत और शामिल' की नीति के अन्तर्गत स्त्री की अनुभूति 'स्वानुभूति' है और पुरुष की अनुभूति सहानुभूति है, अतः स्त्री विमर्श की दुनिया में पुरुष 'आउटसाइडर' है स्त्री 'इनसाइडर' है स्त्री की दुनिया से पुरुष बहिष्कृत है और स्त्री 'शामिल' है। 'स्वानुभूति' और सहानुभूति का युग्म प्रकारान्तर से 'स्त्री लखे' और पुरुष लखे का प्रतीकात्मक युग्म गढ़ने के लिए उछाला गया है। स्वानुभूति और सहानुभूति के पीछे नारीवाद राजनीति एवं मुद्दे हैं। स्त्री और पुरुष की दो अलग-अलग दुनिया बताकर और बनाकर रचे जाने वाले साहित्य से क्या 'स्नेहमय समज्योति' मिल सकती है। पुरुषों का निर्वासन कर, अथवा स्त्री को निर्वासित कर क्या दुनिया मुकम्मल बन सकती है। आधी-अधरूी दुनिया में रहकर क्या किसी विमर्श का दिशा मिल सकती है? अथवा बराबरी और मानवीय धरातल पर, नर-नारी के स्नेह और प्रेम की भूमि पर समाज और विमर्श दोनों का संतुलित किया जा सकता है। और जहाँ संतुलन है वही सौन्दर्य है, असंतुलन कुरूपता का प्रतीक है। असंतुलन नई विकृति पैदा करता है। जबकि स्त्री-पुरुष का स्नेहमय संबंध बराबरी की नींव पर, मानव सत्ता और कसौटी पर रखकर ही स्त्री विमर्श का मानवीय बनाया जा सकता है। इसी मानवीय आलोक से स्त्री लखे, स्त्री चरित्र, स्त्री पात्र का देख जाना चाहिए। एक स्त्री जो कि एक निर्विशेष मनुष्य की तरह है, जाँ हाड़-मांस की है, मानवीय सर्वेदन से भरपूर है, स्त्री की गुलामी-संधर्ष, स्त्री-मात्र की गुलामी-संधर्ष न होकर मनुष्य-मात्र की गुलामी और संधर्ष बन जाए। अतएव साहित्य के भीतर स्वानुभूति सत्य और सहानुभूति सत्य से ऊपर 'मानुष-सत्य' का रखना और देखना चाहिए। यह विमर्श भी तो इसी कथन, नैतिक समर्थक के आधार पर खड़ा हुआ था कि स्त्री एक मनुष्य है और उसके साथ मनुष्य जैसा व्यवहार होना चाहिए और अधिकार, तथा सम्मान का हक मिलना चाहिए।

स्त्री-पुरुष संबंध का मानवीय भाव की भूमि पर प्रतिष्ठित करने का लाभ यह मिलेगा कि इससे स्त्री-पुरुष के बीच अन्तः सामाजिक संबंध कायम होगा, अन्तः वैयक्तिक एक मानवीय संबंध कायम होगा, जिससे लोकतंत्र की लघु ईकाई परिवार के भीतर भी एक आन्तरिक लोकतंत्र स्थापित होगा। स्त्री-पुरुष की परस्पर गंधियाँ खुलेगी और एक स्वस्थ मानवीय संबंध कायम होगा जिसमें स्त्री के भी निर्णय, सम्मान, इच्छा, अनिच्छा, स्वतंत्रता, अधिकार रखने का आन्तरिक लाके तांत्रिक पारिवारिक वातावरण निर्मित होगा।

किसी भी व्यवस्था का प्रतिस्थापन एक वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से किया जा सकता है। किन्तु किसी व्यवस्था के बिना व्यक्ति, समाज, राष्ट्र अथवा किसी संस्था का परिचालन असंभव है। अतः व्यवस्था का निषेध न करके व्यवस्था का स्वस्थ, मानवीय लोकतांत्रिक तथा पारदर्शी बनाकर उस व्यवस्था का एक मानवीय चेहरा दिया जा सकता है। स्त्री-विमर्श का भारतीय रास्ता इसी दिशा में आगे बढ़कर एक मानवीय समाज के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। अन्यथा दिशाहीनता एवं भटकाव की अनजान एवं आत्मघाती दुनिया में प्रवेश का खतरा बढ़ सकता है। अतएव स्त्री और पुरुष की अलग-अलग दुनिया का सुन्दर बनाया जा सकता है। एक पुरुष का पति/पुत्र/पिता/दोस्त आदि की भूमिका का स्त्री जीवन में और एक स्त्री का पत्नी/मा/बहन/बेटी/दोस्त आदि की भूमिका का पुरुष जीवन में, अन्तः सामाजिक-मानवीय संबंध स्थापन में एक संपूरक भूमिका होती है। स्त्री और पुरुष दोनों एक-दूसरे के लिए अनिवार्य हैं, अविभाज्य हैं। स्त्री चते ना और पुरुष चते ना को मानवीय चते ना से जाड़े कर ही '—सवर ऊपर मानुष सत्य' की प्रतिष्ठा की जा सकती है। यही सिद्धान्त लखे क्षेत्र में भी लागू होता है, चित्रा मुद्गल कहती है— "लेखन लखे होता है, नर-मादा नहीं। उसे नर-मादा के खाँचा में बाट कर देखने वाली दृष्टि पूर्वाग्रहग्रस्त है।"

स्वानुभूति और सहानुभूति के संदर्भ में टी.एस.इलियट का 'रचनाकार और भावे ता में अंतर' का सिद्धान्त स्त्री रचनाकार और पुरुष रचनाकार, स्त्री भावे ता और पुरुष भोक्ता दोनों के लिए ही लागू होता है। रचना-प्रक्रिया में निर्व्यक्ति होकर काव्यगत सत्य और कलागत सत्य की रक्षा की जा सकती है। रचनाकार और भावे ता के बीच यदि दूरी न बनाया गया तो जाँ कुछ भी लिखा जाएगा उसे रचनाकार का व्यक्तिगत सत्य, निजी सत्य मान लिया जाएगा/जाता है। उसका परिणाम यह होगा कि स्त्री लेखिका पर तुरंत ही उसके चरित्र को लेकर, उसका लके र चर्चा का बाजार गर्म हो जाएगा, साहित्यिक अखाड़े, बाजियों के माहौल में हमले बाजी का दौर शुरू हो जाता है, "आखिर इन हिंसक धमकियों का, हमलबेजी का स्त्री-लेखन पर असर पड़ता ही है।" जबकि कलागत सत्य, निजी सत्य के भिन्न होती है। 'स्वानुभूति' का स्त्री कलाकार के निजी सत्य से जाड़े कर देखने के परिणाम लखे (स्त्री को भी) का भोगने पड़ेंगे। वास्तव में एक कलाकार रचना प्रक्रिया में स्वानुभूति का साहित्यानुभूति में गलाकर, रचा-बसाकर, सिरजन करता है। अतएव रचना प्रक्रिया में 'स्वानुभूति' और सहानुभूति के स्थान पर साहित्यानुभूति काव्यानुभूति, नाट्यानुभूति जैसे शब्दों का ही प्रयोग सार्थक है चाहे वह पुरुष लखे हो अथवा स्त्री लखे। अपने व्यक्तिगत सत्य का स्थगित कर, निर्व्यक्तिक होकर भी साहित्यानुभूति का रचा जा सकता है उसमें स्वानुभूति और सहानुभूति इस कदर घुल-मिल जाता है कि पाठक को यह तय करना मुश्किल हो जाए कि कितनी स्वानुभूति है और कितनी सहानुभूति। वास्तव में स्वानुभूति और सहानुभूति का प्रश्न ही बेमानी है, विमर्श की राजनीति से प्रेरित है। जाँ दलित लखे के लिए दलित होना, स्त्री लखे

के लिए स्त्री होने की शर्त लगता है। मानों लेखन न हुआ बल्कि साहित्यिक वर्णव्यवस्था हो गयी। क्या यह 'एप्रेज' कला की समग्रता का नष्ट नहीं करता? पुनः रचनाकार और भावे ता के बीच यदि अंतर स्थापित हो गया तो फिर रचनाकार का व्यक्तिगत अनुभूति का प्रश्न गौण हो जाता है, चाहे रचनाकार स्त्री हो या पुरुष। फिर पुरुष स्त्री सबंधी साहित्य रचे या स्त्री, स्त्री सबंधी साहित्य रचे, उसमें निजता, वैयक्तिकता, आत्म-सत्य, आत्मतथ्य के लिए अवकाश कहाँ? अगर ऐसा नहीं है तो फिर हर रचना में पाठक लखे। एक का निजी सत्य, निजी तथ्य ढूँढ़कर उसका जीना हराम कर देगा। तो फिर हो गया लखे। चाहे वह स्त्री लखे।

खत्म हो गया। दूसरी बात यह है कि काइँ भी कलाकार अनुभूति सामर्थ्य के सहारे पर घटित हृदय में प्रवेश कर सत्य को कला के रूप में रचा सकता है। यह काम स्त्री भी कर सकती है और पुरुष भी। अनुभूति सामर्थ्य तो दोनों के पास होता है। सब कुछ अपनी निजी जिन्दगी से ढूँढ़कर लाना फिर उसे रचकर स्वानुभूति बताना कला और कलाकार दोनों के लिए जोखिम पैदा करने वाला, आत्मघाती और कलाविवेक से पैदल व्यक्ति ही कर सकता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। अतएव बात साहित्यानुभूति की होनी चाहिए। जाँ संस्थाओं में कैद मनुष्य (स्त्री अथवा पुरुष) काँ और सामाजिक राजनीतिक-आर्थिक-पारिवारिक-सारं कृतिक परिस्थितियों के संघात से निर्मित मनुष्य काँ उसके अनुभव काँ, उसकी कसम, उसकी वेदना, उसकी सवेदना, उसकी करुणा, उसकी पीड़ा अर्थात् कुल मिलाकर उस मनुष्य की आन्तरिकता का साक्षात्कार कराने वाली साहित्यानुभूति पैदा करने वाला साहित्य ही सृजनात्मक साहित्य है। देशकाल निबद्ध प्रतिक्षण सर्जित-विसर्जित सृष्टि मनुष्य की छवि काँ पकड़ने का साहित्यिक उपक्रम ही वह साहित्यानुभूति है जाँ कला का प्राण होता है। हिन्दी साहित्य ने भारतेन्दु के जमाने से लेकर आज तक देशकाल से निर्मित मनुष्य की परिवर्तित छवि काँ पकड़ने का साहित्यिक प्रयास इसी कला-विवेक और साहित्यानुभूति के माध्यम से होता रहा है इतिहास के परिवर्तन से हुए व्यक्ति की छवि में सतत परिवर्तन काँ साहित्य में कैद करने का निरंतर प्रयास होता रहा है। यही कारण है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हर युग में उसकी छवि, उसकी भूमिका, उसका व्यवहार बदलता रहा है। उसकी कभी काइँ अंतिम छवि, अंतिम भूमिका, अन्तिम आचरण नहीं रहा है क्योंकि

युग परिवर्तन की एक मुद्रा से युग परिवर्तन की दूसरी मुद्रा तक आते-आते व्यक्ति की छवि और उपलब्ध सत्य बदल जाता है, और फिर से किसी साहित्यकार काँ अपना दूसरा जाल व्यक्ति पर फेंकना पड़ता है। साहित्यानुभूति मनुष्य की सजीवता, मनुष्य की छवि, मनुष्य का मर्म, मनुष्य का सत्य, मनुष्य की अनुभूति काँ उपलब्ध करने का साहित्यिक क्रिया-व्यापार है। उसमें स्त्री भी शामिल है, पुरुष भी शामिल है, स्वानुभूति भी उसका हिस्सा है और सहानुभूति भी उसका अंश है। हे किन्तु साहित्यानुभूति सबका अंश है। मनुष्य का सत्य उसी साहित्यानुभूति की बनावट और बुनावट में निहित है। स्त्री का सत्य इससे अपवाद नहीं है। आखिर स्त्री एक मनुष्य ही है। है कि नहीं?